



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 25.03.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं होली के त्योहार के दृष्टिगत अपर पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा समीक्षा गोष्ठी की गई



आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं होली के त्योहार के दृष्टिगत आज दिनांक 25.03.2021 को अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, लखनऊ जोन, लखनऊ, श्री एन0एन0 साबत द्वारा पुलिस लाइन सभागार जनपद खीरी में जिलाधिकारी खीरी, श्री शैलेन्द्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के साथ संयुक्त रूप से जनपद के समस्त उपजिलाधिकारीगण एवं क्षेत्राधिकारीगण की गोष्ठी की गई।

गोष्ठी के दौरान महोदय द्वारा होली के त्योहार को सकुशल व शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु समस्त थानों पर पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित करके सभी से त्योहार को शांति, सद्भाव व आपसी भाईचारा से मनाने हेतु अपील करने के निर्देश दिए गए। साथ ही होलिका दहन के स्थानों पर भ्रमण करके उनका भौतिक सत्यापन करते हुए इस संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद का समयबद्ध निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत होली के कार्यक्रमों के दौरान सभी से कोरोना से बचाव हेतु जारी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील हेतु भी निर्देशित किया गया।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने हेतु की गई तैयारियों की समीक्षा की गई एवं चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान पूर्व के चुनावों में घटित घटनाओं की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने, चुनाव को प्रभावित करने वाले संभावित अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने, हिस्ट्रीशीटों की जांच कर सक्रिय एचएस के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने, अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों/किसी भी प्रकार के मुकदमों के अभियुक्तों के शस्त्र जमा कराने की कार्यवाही करने, गंभीर अपराधों में जमानत पर बाहर आए अभियुक्तों की जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही करने, अवैध शराब के निष्कर्षण, ब्रिकी व परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने, पुलिस के मददगार व्यक्तियों की सूची बनाकर उनसे लगाकर संपर्क में रहकर लाभप्रद सूचनायें संग्रहित करने, समस्त बूथों का भौतिक निरीक्षण करके आवश्यक मूलभूत सुविधायें जैसे- बिजली, पानी, शौचालय आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने निर्देश दिए गए।

कलस्टर मोबाइल, पिकेट डियूटी, बैरियर डियूटी, बूथ डियूटी आदि समस्त डियुटियों में तैनात पुलिसकर्मियों को निर्धारित साफ-सुथरी वर्दी धारण करने एवं डियुटी के दौरान नागरिकों से शालीन एवं मृदुभाषी व्यवहार करने तथा सभी प्रकार की डियुटियों पर समय से पूर्व उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। सोशल मीडिया पर सतर्क दृष्टी रखते हुए किसी भी प्रकार के अपवाहों/भ्रामक सूचनाओं का खंडन करने, मतदान डियूटी के दौरान प्रत्येक बूथ पर एक लोकल पुलिसकर्मी की डियूटी लगाने, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत मतदान स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराने तथा लाइन बनाकर मतदाताओं के बीच उचित दूरी मेंटेन कराने आदि के संबंध में निर्देशित किया गया।

जनपद खीरी एवं लखनऊ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 20,000 रू० के इनामिया अभियुक्त शीबू को गिरफ्तार किया गया



आज दिनांक 25.03.2021 को पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/इनामियां अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद खीरी व लखनऊ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा जनपद लखनऊ के थाना चिनहट पर पंजीकृत मु0अ0सं0423/20धारा411/413/414/419/420/467/468/471/484/120बी भादवि0 में वांछित एवं दिनांक 03.02.2021 को 20,000/- रुपये के ईनाम घोषित अपराधी शीबू उर्फ शहबाज खान को सम्पूर्णानगर रोड स्थित एसके कार बाजार के बाहर से गिरफ्तार किया गया।

विवरण अभियुक्त-

शीबू उर्फ शहबाज खान पुत्र रईश खान नि0 मो0 रंगरेजान कस्बा व थाना पलिया खीरी

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शीबू-

मु0अ0सं0 470/18 धारा 419/420/467/468/471/379/411 भादवि0 थाना खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1.उ0नि0 उमाशंकर यादव (थाना चिनहट लखनऊ)
- 2.उ0नि0 अनिल कुमार राजपूत (थाना पलिया खीरी)
- 3.हे0 का0 भरतलाल
- 4.का0 अवधेश कुमार
- 5.का0 घनश्याम शर्मा

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा 04 नफर वारंटियों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में वारंटियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना ईसानगर पुलिस द्वारा संबंधित मु०अ०स० 3378/20 धारा 147/323/504/324/308 भादवि० में 04 नफर वारण्टी अभियुक्त गणों 1- रामू पुत्र छोटेलाल , 2- संजय पुत्र छोटेलाल, 3- छोटेलाल पुत्र रामासुर 4-श्यामनारायण पुत्र छोटेलाल नि०गण कैरातीपुरवा थाना ईसानगर जनपद खीरी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

थाना पसगवां पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त मिथलेश उर्फ घोटू को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना पसगवां पुलिस द्वारा अभियुक्त मिथलेश उर्फ घोटू पुत्र कमलाकर नि० डेलपाण्डरवा थाना पिहानी जनपद हरदोई को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 84/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

खीरी पुलिस की सक्रियता, संवेदनशीलता व साहसपूर्ण कार्य ने आत्महत्या हेतु नहर में कूदी महिला की बचाई जान



आज दिनांक 25.03.21 समय लगभग 13:45 पर थाना निघासन क्षेत्रान्तर्गत ढखेरवा चौराहा के पास एक महिला नीलम उम्र लगभग 35 वर्ष पत्नी सुकई निवासी खरवहिया नंबर-2 थाना निघासन खीरी घरेलू कलह से परेशान होकर आत्महत्या के इरादे से ढखेरवा नहर में कूद गई।

तभी ढखेरवा चौराहा पर ड्यूटी पर तैनात आरक्षी धर्मेन्द्र व मोहम्मद अली द्वारा अपनी जान की परवाह न करते हुए त्वरित कार्यवाही कर अदम्य साहस का परिचय देते हुए नहर में कूदकर उपरोक्त महिला को सकुशल नहर से बाहर निकालकर उपचार हेतु सीएचसी रमिहाबेहड़ ले जाया गया जहां चिकित्सकों द्वारा महिला का इलाज किया जा रहा है। घटना के बारे में महिला के परिवारीजन को सूचित कर दिया गया है। पुलिस की सक्रियता, संवेदनशीलता एवं इस साहसपूर्ण कार्य की स्थानीय जनता द्वारा मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की जा रही है।

थाना निघासन पुलिस द्वारा दहेज हत्या में वांछित 03 अभियुक्तों सहित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में जनपद स्तर पर चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 25.03.2021 को थाना निघासन पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 487/2020 धारा 498A/304B भादवि0 व 3/4 डीपी एक्ट में वांछित चल रहे 03 अभियुक्तों 1 दिनेश पुत्र कामता प्रसाद, 2.कामता प्रसाद पुत्र बांके लाल, 3.श्रीमती कामिनी पत्नी कामता प्रसाद निवासीगण पडुखिया मजरा गौरिया थाना निघासन जनपद खीरी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

साथ ही मु0अ0सं0 865/2020 धारा 60(2) Ex. Act व 272 भादवि में वांछित चल रहे अभियुक्त रामखेलावन पुत्र शंकर गौतम निवासी ढखेरवा थाना निघासन जनपद खीरी को मुखबिर की सूचना पर ढखेरवा चौराहे से गिरफ्तार किया गया है।

थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अवैध चाकू सहित अभियुक्त लवकुश को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त लवकुश पुत्र चुन्नीलाल नि० लालपुर थाना मैगलगंज जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 151/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अवैध चाकू सहित अभियुक्त रामसागर को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अभियुक्त रामसागर पुत्र रामविलास नि० मगरेना थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 150/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

थाना मैलानी पुलिस द्वारा अवैध चाकूओं सहित 03 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मैलानी पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों 1. मो० हनीफ पुत्र मो० शरीफ 2. शहाबुद्दीन पुत्र अमीनुद्दीन 3. मो० मोइन पुत्र मो० शफीक नि०गण संसारपुर थाना मैलानी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 03 अदद अवैध चाकू बरामद किये गये। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 114/21, 115/21, 116/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, 826 लीटर अवैध कच्ची शराब, 12 अवैध शराब भट्टी बरामद कर 35 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध वृहद स्तर पर सघन अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के दौरान विगत 24 घण्टे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 35 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 35 अभियोग पंजीकृत किये गये। 12 अवैध शराब भट्टी सहित 826 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गयी। साथ ही मौके पर भारी मात्रा में लहन भी नष्ट किया गया।